संख्या 27/02/2012-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली - 110003
दिनांक 22 जून, 2012

आदेश 16(N) /2012

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट व्यक्ति, जो 09.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 09.11.2000 से ही अन्तिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य यथास्थिति, 09.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझे जायेंगे ।

परन्तु यदि उन्होंने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, तो उनका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, तो उनका आबंटन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा ।

परन्तु यदि उन्होंने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, तो उनको न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा ।

संलग्नक में निर्दिष्ट इस कार्मिक का अंतिम आबंटन परामर्शी समिति की दिनांक 09.02.2012 को हुई बैठक की संस्तुतियों पर आधारित है ।

(के. पी. के. नंबीशन)
उप सचिव, भारत सरकार
(P. K. NAMBISSAN)
उप सचिव/Deputy Secretary
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
भारत सरकार/Govt. of India

संलग्नकः 1. अनुबंध (1 पृष्ठ में) उत्तराखंड राज्य में अन्तिम रुप से आवंटित गृह विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ग के 1 कार्मिक की सूची ।

प्रतिलिपिः
1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
3. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, लखनऊ ।
4. अपर सचिव(स्वतन्त्र प्रभार), उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग, सचिवालय, देहरादून।

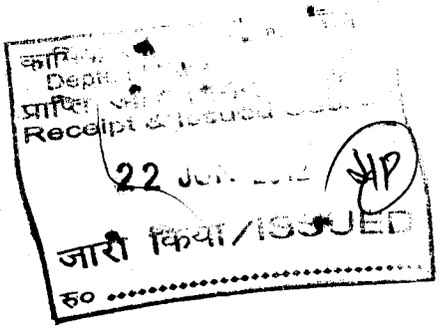

गृह विभाग

क्र0 सं0	नाम व पदनाम/TF AL	प्रत्यावेदन में उल्लिखित बिन्दु	विभागीय आख्या	चिकित्सा परिषद की संस्तुति	समिति की संस्तुति
1	2	3	5	4	6
	श्री अजय कुमार पाण्डे, आरक्षी, 1804	पत्नी हृदय एवं शारीरिक रोग से पीड़ित	श्री अजय कुमार पाण्डे, आरक्षी, 1804 के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें कई बार निर्देशित किये जाने के पश्चात भी उनके द्वारा अभी तक अपनी पत्नी को राज्य चिकित्सा परिषद के सम्मुख उपस्थित नही किया गया है। जबकि राज्य चिकित्सा परिषद न जाने के कारण उनका वेतन भी रोक दिया गया है।	अप्राप्त	समिति द्वारा श्री अजय कुमार पाण्डेय को कई बार उनकी पत्नी को राज्य चिकित्सा परिषद के सम्मुख उपस्थित होने हेतु अवसर प्रदान किया गया, परन्तु श्री पाण्डेय जानबूझ कर अपनी पत्नी को राज्य चिकित्सा परिषद के सम्मुख उपस्थित नही कर रहें हैं। अतः समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य आवंटन की संस्तुति की गई ।

(के.पि.के. नंबिसन)
(K. P. K. NAMBISSAN)
उप सचिव/Deputy Secretary
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
भारत सरकार/Govt. of India